



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941

No. 3070]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

आय-कर

का.आ. 3356(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ड के परंतुक के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, नकद पुनःपूर्ति अभिकरणों (सीआरए) और वाईट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएटीएमओ) के विशेषाधिकार अभिकर्ताओं को विनिर्दिष्ट करती है, जो एक पृथक बैंक खाता रखते हैं, जिससे केवल ऐसे डब्ल्यूएलएटीएमओ द्वारा संचालित ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) में नकद पुनःपूर्ति के प्रयोजन के लिए निकासी की जाती है और डब्ल्यूएलएटीएमओ बैंक को प्रत्येक मास यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सीआरए और डब्ल्यूएलएटीएमओ के विशेषाधिकार अभिकर्ताओं के बैंक खाते का परीक्षण किया गया है और उनके बैंक खातों से निकाली जाने वाली रकम का डब्ल्यूएलएटीएमओ की एटीएम में नकद निक्षेप की रकम के साथ मिलान किया गया है।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 68/2019/फा. सं. 370142/12/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2019

INCOME-TAX

S.O. 3356(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of proviso to section 194N of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India, hereby specifies Cash Replenishment Agencies (CRA's) and franchise agents of White Label Automated Teller Machine Operators (WLATMO's) maintaining a separate bank account from which withdrawal is made only for the purposes of replenishing cash in the Automated Teller Machines (ATM's) operated by such WLATMO's and the WLATMO have furnished a certificate every month to the bank certifying that the bank account of the CRA's and the franchise agents of the WLATMO's have been examined and the amounts being withdrawn from their bank accounts has been reconciled with the amount of cash deposited in the ATM's of the WLATMO's.

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of September, 2019.

[Notification No. 68/2019/F. No. 370142/12/2019-TPL]

SAURABH GUPTA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.